



प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 06 अक्टूबर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी शेरपाल पुत्र श्री अमीचन्द, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-7943/प्र0(6)/261/(महिला दिवस-26), दिनांक 05.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी शेरपाल पुत्र श्री अमीचन्द, जो ग्राम-मूडी बकापुर, थाना-औरंगाबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक-28.06.2008 को वादी की पुत्री सीमा अपने भाई (आयु लगभग 10 वर्ष) तथा अपनी बहन (आयु लगभग 12 वर्ष) के साथ खेत में चारा लेने गयी थी, अभियुक्त द्वारा बुरी नियत से सीमा को ज्वार के खेत में खींचने लगा जिस पर सीमा व उसके भाई-बहन ने शोर मचाया, जिससे अभियुक्त गलत कार्य में सफल न हो पाने के कारण तमंचे से गोली मारकर सीमा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-1142/2008, भा०द०वि० की धारा-302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-07, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 27.04.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2026 तक अपरिहार 17 वर्ष, 08 माह, 05 दिन एवं सपरिहार 21 वर्ष, 09 माह, 02 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी द्वारा वादी की पुत्री सीमा को बुरी नियत से ज्वार के खेत में खींचने एवं गलत कार्य में सफल न हो पाने के कारण तमंचे से गोली मारकर हत्या करने जैसा घृणित, जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत निर्धारित स्थायी नीति विषयक शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 20 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शेरपाल पुत्र श्री अमीचन्द की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी शेरपाल (बन्दी संख्या-16215) पुत्र श्री अमीचन्द, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
- 3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
- 4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
- 5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।